

भारत में ई-गवर्नेंस की स्थिति

समय परिवर्तनशील है। समय के इस बदलते दौर में तकनीकी सुविधाओं की और विश्व समुदाय का ध्यान है जिसके कारण विश्व के अधिकांशतः देश ई-गवर्नेंस की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत भी ई-गवर्नेंस की दिशा में निरंतर गतिशील है। भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत सन 2000 से ही मानी जा रही है।

ई-गवर्नेंस में ई-इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस - शासन से है। इस प्रकार ई-गवर्नेंस मूल रूप से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (I.C.T) के उपभोग के माध्यम से राज्यों का पूरा करने एवं शासन के परिणाम प्राप्त करने के साथ संबंध है जबकि शासन का सम्बन्ध सभी नागरिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा, सब समाज रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं तथा सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक विकास के लाभ की पहुँच को सभी अभिन्नता तक सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है। विश्व बैंक के अनुसार, ई-गवर्नेंस सरकारी अभिकरणों द्वारा सूचना तकनीकों (wide area network, internet & mobile computing) के प्रयोग का सूचक है और यह नागरिकों, व्यापारों और सरकारी अंगों के साथ सम्बन्धों को सुधारा देने की क्षमता रखता है। ई-गवर्नेंस मूल रूप से स्मार्ट शासन की दिशा में एक पहलू है जो सरल, नैतिक, उत्तरदायी, अनुकूलनात्मक तथा पारदर्शी शासन का सूचक है।

ई-गवर्नेंस में अन्तर्क्रियाओं के चार प्रकार होते हैं - शासन में सरकार की नागरिकों के साथ अन्तर्क्रिया (G-2C), सरकार की सरकार के साथ अन्तर्क्रिया जो कि अन्तर्क्रिया सम्बन्ध के रूप में होती है। (G-2G), सरकार की व्यापार के साथ अन्तर्क्रिया G-2B तथा सरकार की वर्ग-धारियों के साथ अन्तर्क्रिया (G-2E)।

भारत सरकार ने वर्ष 2000 में इलेक्ट्रॉनिक वर्ग उत्पादन प्राप्ति से सम्बन्धित कानून को विधानित किया, जिसे I.T Act 2000 के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात सरकार ने वर्ष 2003-04 के बीच लागू किए गए ई-गवर्नेंस सम्बन्धित प्लान को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य ई-गवर्नेंस के लिए एक खास परिपक्वता तैयार करना था। इस दिशा में नवम्बर 2005 में भारत सरकार द्वारा इच्छित गवर्नेमेंट आई एन नामक वेबसाइट की शुरुआत की। जिसके माध्यम से क्लियर, निष्ठा, जनता के आदि सहित सभी अभिन्नता अपनी काम की सूचना पा सकते हैं। इस वेबसाइट की सहायता से लोग अपने प्रयोक्ता (User) को सर्वप्रथम इस वेबसाइट पर जाकर

रतों को रजिस्टर कराना होता है। नवम्बर 2010 में ई-गवर्नेंस हेतु खुल मानव संसाधन पर एक राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वयित किया गया। यह ई-गवर्नेंस योजनाओं के निष्कर्ष, मानवीय और सुधारत्मक क्रिया-न्वयन हेतु शिक्षा निदेशों का एक समुच्चय उपलब्ध कराना है। साथ में ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने हेतु कई कदम उठाये जाये हैं जो इस प्रकार हैं :-

सरकार की नागरिकों के लाभ व सरकार की सरकार के लाभ अन्तर्क्रिया के शीर्षक ई-गवर्नेंस के शीर्षक में कई कदम उठाये हैं। इसमें ग्रामि प्रोजेक्ट (ग्रामि), मानव पूंजी प्रोजेक्ट (HRP) लोकवाणी प्रोजेक्ट (LCP) प्रोजेक्ट फंड (केएल) ई-मिड प्रोजेक्ट, राजस्व, ई-सेवा आणख्य प्रवेश, स्मार्ट प्रोजेक्ट (आरपी प्रवेश) इत्यादि प्रमुख हैं।

ई-गवर्नेंस को बढ़ाना देने हेतु राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं पञ्जीकृत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में कई पहल किये गये हैं। मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा किये गए पहलों में ई-

कार्पोरेशन, पाठपाठि इत्यादि प्रमुख हैं। साथ ही इसके साथ ही लाभ बीजा और प्रवालन, राष्ट्रीय नागरिक डेटाबेस और भूआर्इसी परियोजना, पेंशन, वी-किंग इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकार मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नगर पालिकाओं में ई-गवर्नेंस स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-पंचायत, ई-जिला, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण प्रोग्राम (N-LR-M-P), सड़क परिवहन, सार्वजनिक पंजीकरण इत्यादि पहल किये गए हैं। इसके अनिरीकृत स्वीकृत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत किये गए पहलों में ई-प्रान्तूरभेष्ट, ई-न्यायालय, ई-विज, कॉमन सर्विंस सेक्टर (CSC) इत्यादि प्रमुख हैं।

इसके अनिरीकृत ई-गवर्नेंस के शीर्षक में सरकार द्वारा विगत कुछ महीनों में कदम उठाए गए हैं यथा प्रत्यक्ष नकर हस्तान्तरण, आधार इनेबलड प्रोजेक्ट सिस्टम, डिजिटल इडिउता प्रोग्राम, मडि गवर्नेंस सिटीजन पार्टिसिपेशन, ई-कान्ति स्कीम, डिजिटल क्लाउड, मोडवैल सेवा इत्यादि प्रमुख हैं।

ई-गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य शासन का विकास और शासन प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। ई-गवर्नेंस से कई प्रकार के लाभ होते हैं। पहली डि-सिंचाई को गतिमान बना देता है जिससे इण्टरनेट, फोन, लैप फोन ने स्तानान्य सिंचाई में लगने वाली लागत को कम कर दिया है। जिससे स्तानान्य तक पहुँच के माध्यम से नागरिकों का सहायिकरण होता है।

ई-गवर्नेंस के लाभों में (i) नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति, (ii) आधार और उद्योग के लाभ अन्तर्क्रिया (iii) अधिक दूर सरकारी प्रबंधन (iv) प्रशासन में आणख्य प्रवेश (v) पारदर्शिता में वृद्धि। (vi) प्रक्रिया में लालफीताशाही

और काजगी कार्यवाही में कमी (vii) जवाबदेही व शासन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर निर्माण एवं समन्वय (viii) सुशासन प्रक्रिया में 0 ज्ञापक नागरिक भागीदारी इत्यादि।

यद्यपि ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत के समस्त कई नुर्तनी निर्माण हैं। भारत में अभी तक आवादी का एक बड़ा भाग अशिक्षित है, देश के सभी भागों में अभी तक पूर्णतः बिजली नहीं पहुँच पाई है। इसके अतिरिक्त साक्षरों में भी अधिकांश के पास कंप्यूटर शिक्षा नहीं है। अतः सभी नागरिकों तक ई-गवर्नेंस के लाभ को सुनिश्चित करने हेतु इन नुर्तनी निर्माण से निपटना होगा। इसके अतिरिक्त भारत में साक्षर सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख है, क्योंकि वर्तमान समय में हो रहे साक्षर हजले को देखते हुए सरकार को साक्षर सुरक्षा को बेहतर करने एवं डेटाओं के संग्रह की सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रमुख नुर्तनी है।

इस प्रकार ई-गवर्नेंस द्वारा प्रशासनिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को दूरदर्शी नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। - पीन ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत आगे है। वर्तमान में इलने एक APP डिजाला है जिसके प्रयोग से स्कैनिंग कर दूरगामी परिणाम हुआ जा सकता है, और आवश्यकता की-पीनों को भी जनमानस तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता, प्रध्यन्चार, उन्मुक्त जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व में बृद्धि के साथ-साथ शासन संचालन में बेहतर उपलब्धि हासिल कर सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक लाभ की प्राप्ति में सहायक होगा। ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासन में मौजूद लाल फीताशाही को दूर कर वधानों में ई-गवर्नेंस की श्रुति का अने महत्वपूर्ण आवित हो सकती है। इस कार्य के लिए देश के नागरिकों को भी प्रशिक्षित होकर सरकार के कार्यों में सहयोग कर ही देश की तरक्की के मार्ग पर पहुँचाया जा सकता है।

डॉ० राजू मोदी

विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी के कॉलेज, दुमराँव
दिनांक - 28/05/2020